

मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड

6th फ्लोर, लिली ट्रेड विंग, जहाँगीराबाद, भोपाल - 462008

फोन 0755-2780600, ई-मेल - tpu@mp tourism.com

21 मार्ग सुविधा केन्द्रों की निविदा हेतु प्री बिड मीटिंग दिनांक 18/09/2018

क्र.	निवेशकों द्वारा पूछे गये प्रश्न	म.प्र. पर्यटन बोर्ड द्वारा दिये गये उत्तर
1	WSA का फूड मेन्यू किसका होगा, रेट कौन तय करेगा ?	संचालनकर्ता तय करेगा ।
2	यदि प्रथम उच्चतम निविदाकार राशि जमा नहीं करता है तो क्या द्वितीय उच्चतम निविदाकार को दिया जायेगा ?	RFP में ऐसा प्रावधान नहीं है
3	क्या WSA में आवासीय रूम बनाये जा सकेंगे ?	मार्ग सुविधा केन्द्रों की नीति 2016 की कंडिका 3.1.9(B) के अनुसार अनुमति दी जा सकती है ।
4	सभी पेपर ऑन लाइन जमा होंगे अथवा आफ लाइन भी जमा कराना होगा ?	RFP की कंडिका 2.2 एवं 2.5 के अनुसार जानकारी केवल ऑन लाइन ही मान्य होगी।
5	ईएमडी की राशि वापिस की जावेगी अथवा नहीं ?	RFP की कंडिका 2.6 के अनुसार ईएमडी की राशि वापिसी योग्य है ।
6	यदि कोई बिडर सबलेट करना चाहे तो क्या करना होगा ?	सबलेटिंग की अनुमति नहीं है ।
7	बियर बार की अनुमति पर्यटन विभाग द्वारा दी जायेगी अथवा नहीं ?	WSA के लिए बियर बार अपेक्षित सुविधा नहीं है ।
8	सालाना किराया कितना तय होगा ?	वार्षिक लीज रेंट प्रीमियम राशि पर एक प्रतिशत वार्षिक की दर से देय होगा ।
9	पुरानी फर्म होने पर प्रोपराइटर का नेटवर्थ मान्य किया जायेगा या नहीं ?	नेटवर्थ आवेदक / फर्म जिसने निविदा प्रस्तुत की है, की मान्य होगी ।
10	टेंडर में नेटवर्थ एवं टर्न ओवर का क्या प्रावधान है ? नेटवर्थ/टर्न ओवर की आधार पर एक से अधिक WSA हेतु टेंडर भरा जा सकता है ?	RFP की कंडिका 4.1.2 के अनुसार निविदा में नेटवर्थ 25.00 लाख अथवा टर्न ओवर 50.00 लाख होने पर केवल एक WSA के लिये टेंडर भर सकेगा । एक से अधिक आवेदन भरने पर टर्न ओवर एवं नेटवर्थ टेंडर की संख्या के गुणांक के अनुसार होगी । एक से अधिक WSA के लिये पृथक - पृथक आवेदन किया जा सकता है ।
11	अनुबंध अवधि (30 वर्ष) पश्चात स्वयं के द्वारा किये गये निवेश राशि वापिस की जायेगी ?	नहीं ।